न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—363/2016/75 (2016/00363)

1. श्रीमती सुनिता पत्नि उमाशंकर वैष्णव, निवासी मेवदाकला, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 13.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 30/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 13.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी/अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम मेवदाकला, तह0 केकड़ी ग्राम मानखण्ड स्थित सिवायचक आराजी खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 किस्म बा—3 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन दिनांक 16.1.2013 को किया गया है । उक्त आवंटित भूमि में से मानखण्ड से नया गांव जाने का रास्त जा रहा है इसलिये आवंटन खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 13.7.2016 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 16.1.2013 को निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 की धारा 80 (2) के तहत जिस

आवंटन आदेश को चुनौती दी जा रही है उस आदेश की मूल पत्रावली को मंगाया जाकर देखा जाना अनिवार्य था परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना आवंटन आदेश की पत्रावली को मंगाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 की किस्म बा–3 है जो राजस्व रिकार्ड व नक्शे से पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त आराजी रास्ता नहीं है। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि को रास्ते की भूमि मानकर आवंटन आदेश निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि हल्का पटवारी ने गलत तौर पर बिना अपीलांट को नोटिस दिये एकतरफा में फर्जी रिपोर्ट तैयार कर तहसील को प्रेषित की है । उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट को अपीलांट के विरूद्ध पढ़ा नहीं जा सकता था । इसके बावजूद तहसीलदार ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के आवंटन को निरस्त कराने हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 14 (4) साईक्लोस्टाईल था जिस पर केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूति की है व न ही शपथ पत्र तस्दीकशुदा था । उपरोक्त प्रार्थना पत्र में पेन से रास्ता दर्ज होना जोड़ा गया है जो संदिग्ध होना प्रकट होता है । इन तथ्यों की जांच किये बिना अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने स्वंय अपने आदेश दिनांक 13.7.2016 के ऑपरेटिव पैरा में माना है कि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 की किस्म बारानी–3 है व राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा रास्ता दर्ज नहीं है । इसके बावजूद बिना मौके की जांच किये व बिना रास्ता साबित हुए अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने में अधी0न्याया0 ने विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 13.7.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 16.1.2013 को बहाल रखा जावे ।

1. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। अपीलांट को आवंटित भूमि खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 में से ग्राम मानखण्ड से नयागांव हेतु आम रास्ता जा रहा है तथा विवादित भूमि काबिल काश्त भी नहीं है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि होने से आवंटित नही की जा सकती थी। विवादित भूमि में से आम रास्ता होने की पुष्टि राजस्व नक्शे से होती है। विवादित भूमि राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता था। अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

2. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट अधिवक्ता मुख्य तर्क यह रहा कि तहसीलदार ने हल्का पटवारी पटवारी की एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत पेश किया है जिसमें विवादित आवंटित भूमि को रास्ते की भूमि होना बताकर आवंटन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया एवं अधी0न्याया0 ने भी विवादित भूमि को रास्ते की भूमि होना मानकर आवंटन आदेश निरस्त किया है । यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नबर 1652 रकबा 0.69 है0 राजस्व रिकार्ड में किस्म

बारानी–3 होकर काबिल काश्त भूमि है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि के मौके की जांच कराये बिना अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 1652 ग्राम मानखण्ड का आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 16.1.2013 को अपीलांट को आवंटन किया गया है । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में विवादित भूमि खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 की किस्म बारानी–3 दर्ज है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.9.2013 को अवलोकन किया गया । उक्त मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नंबर 1652 में से मानखण्ड से नयागांव को आम रास्ता जा रहा है । अतः इस खसरे पर भूमि का आवंटन करना संभव नहीं है । जबकि अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 16.1.2013 का है तथा हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.9.2013 की होकर आवंटन आदेश के बाद की है । पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि बरवक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन से पूर्व विवादित भूमि के संदर्भ में पटवारी हल्का से विवादित भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की है । उक्त आवंटन प्रपत्र पर हल्का पटवारी ने विवादित भूमि को आवंटन योग्य होना अंकित किया है । इस प्रकार आवंटन प्रपत्र पत्र अंकित हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.1.1993 एवं हल्का पटवारी की पश्चात्वर्ती मौका रिपोर्ट दिनांक 2.9.2013 की होकर एक–दूसरे से विरोधाभाषी है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट तलब नहीं की गई तथा न ही आवंटन पत्रावली मंगायी जाकर आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

3. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 13.7.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करे कि क्या विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है अथवा नहीं ? इस तथ्य की भी जांच करे कि क्या विवादित आवंटित भूमि खसरा नंबर 1652 रकबा 0.69 है0 पर ग्राम मानखण्ड से नयागांव का आम रास्ता मौके पर मौजूद है अथवा नहीं ? यदि आवंटित भूमि पर रास्ता मौजूद है तो रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए पुनः जांच कर अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

4. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर